उत्तर मध्य रेल

कार्यालय
मंडल रेल प्रबन्धक(का.)
उत्तर मध्य रेलवे, आगरा

पत्र स.पी/आगरा/आरआरबी/ट्राफिक अप्रेन्टिस/टीएस
दिनांक– 04/08/2014

....
....
....
....

विषयः–आगरा मंडल में रेलवे भर्ती बोर्ड इलाहाबाद द्वारा चयनित अभ्यर्थियो को परिचालन विभाग में यातायात निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।

रेलवे भर्ती बोर्ड इलाहाबाद पर आयोजित चयन के परिणाम स्वरूप और आपके आवेदन पत्र के सन्दर्भ में आपको उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मण्डल पर निम्नलिखित शर्तो पर यातायात निरीक्षक (परिचालन) पे0बेन्ड रू 9300–34800+ ग्रेड पे0रू 4200/– के पद पर चिकित्सा श्रेणी ए/2 में उपयुक्त पाये जाने के पश्चात नियुक्ति करने का प्रस्ताव है।

1- आपके आवेदन पत्र में दी गयी आपकी जन्मतिथि एवं अन्य विवरण की पुष्टि में अपने साथ सेकेन्ड्री स्कूल लिविंग सर्टीफिकेट/मेट्रीकुलेशन सर्टीफिकेट, हाई स्कूल बोर्ड, यूनिवर्सिटि द्वारा जारी सर्टीफिकेट मूल रूप से लाना होगा तथा प्रत्येक प्रपत्र की सत्यापित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करनी होगी।

2. नियुक्ति से पूर्व आपको शपथ लेनी होगी। भारत और भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा का बचन देना होगा।

3. आपको अस्थायी सेवा के दौरान आपको कभी भी 14 दिन के नोटिस अथवा उसके बदले 14 दिन का वेतन देकर सेवा मुक्त किया जा सकता है।

4. प्रारम्भ में आपको रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित सामान्य अनुदेय भत्तो सहित रू0 11360/–वृतिका पर प्रशिक्षार्थी के रुप में भर्ती किया जायेगा। प्रारम्भिक पाठयक्रम पूरा हो जाने पर और उसके बाद परीक्षा पास कर लेने पर आपको पे0बेन्ड.रू 9300–34800+ ग्रेड पे0रू 4200/– के निर्धारित वेतनमान में नियुक्त किया जायेगा। परीक्षा पास करने का आपको सिर्फ एक मौका दिया जायेगा जिसमें अनुत्तीर्ण होन पर आपको सेवा से मुक्त किया जा सकता हैं।

5. सरकारी सेवा की अपरिहार्यता और रेल प्रशासन की आवश्यकताओं के अर्न्तगत आपको कभी भी उ.म.रे. के किसी भी स्टेशन पर नियुक्त किया जा सकता है।

6. आपको रेल कर्मचारी आचार नियम एवं रेल कर्मचारियों की सेवा/निष्ठा से संबंधित अन्य रेल नियम/उपनियमों का पालन करना होगा।

7. आपको संलग्न फार्म पर किसी दो अलग–अलग राजपत्रित अधिकारी से दो चरित्र प्रमाण पत्र जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, एक्सीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट से सत्यापित (अटेस्टेड) होना आवश्यक है।

8. यदि प्रशिक्षण के दोरान आपकी प्रगति संतोषजनक नही पायी गयी अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आप निर्धारित परीक्षा में उत्तीर्ण नही होते हैं, तो आपको 24 घन्टे के नोटिस पर सेवा से मुक्त किया जा सकता हैं।

9. आपको हाल ही का खिचा फोटो, जो कि किसी भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो, तीन फोटो प्रति एवं बिना सत्यापित पांच फोटो प्रति लाना होगा। आपको अपना इनकम टेक्स का पैन नम्बर एवं बैंक खाता संख्या व कैन्सिल चैक भी लाना होगा।